जनपद बिजनौर

प्रेसनोटः- थाना किरतपुर **दिनांक 26.05.2026**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को चैकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.05.2026 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रिजवान पुत्र छुन्नु निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 141/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र छुन्नु निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर (एच0एस0 सं0 141(A))

गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिजवान उपरोक्त -

1.मु0अ0सं0 518/2016, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर, बिजनौर।
2.मु0अ0सं0 483/2021, धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना नजीबाबाद, बिजनौर।
3.मु0अ0सं0 186/2022, धारा 3(1) गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना नजीबाबाद, बिजनौर
4.मु0अ0सं0 141/2026, धारा 3/5 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर, बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 श्री गौरव मलिक, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3.मुख्य आरक्षी 460 प्रवेन्द्र तोमर, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी 315 सहदेव कुमार, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
5.आरक्षी 2315 सोनपाल, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना मंडावर **दिनांक 25.05.2026**

थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 127/26 धारा 64/351(3) बी0एन0एस0 मे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.04.2026 को वादिनी द्वारा थाना मंडावर पर अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम रायपुर बैरिसाल थाना मंडावर जनपद बिजनौर के विरुद्ध शारीरिक शोषण एवं जान से मारने की धमकी देने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा 64/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 25.05.2026 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त संजीव उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संजीव कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम रायपुर बैरिसाल थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1-उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2-हे0का0 08 अमित राणा थाना मंडावर जनपद बिजनौर

3-का0 1238 प्रवीश थाना मंडावर जनपद बिजनौर

4. का0 78 भगत सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर

5. रि0का0 2969 रितिक थाना मंडावर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- जनपद बिजनौर **दिनांक 25.05.2026**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से धारा 302/201/498ए व धारा 4 डीपी एक्ट के आरोपी अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और कुल 28,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

कार्यवाही:–

दिनांक 08.08.2019 को वादी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि उसकी बहन को उसका पति सोमपाल पुत्र रामौतार निवासी धमरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व उसके परिजन दहेज की मांग को लेकर लगातार परेशान कर रहे थे। दिनांक 07/08/2019 को सोमपाल वादी की बहन व भाई को मेला दिखाने की बात कहकर वादी के घर से ले गया था तथा अगले दिन वादी की बहन व भाई के शव जंगल मे खेत मे पडे हुए मिले थे। अभियुक्त सोमपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर वादी के भाई व बहन की हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 776/2019 धारा 302/201/304(बी)/498ए भादवि व धार ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसमे विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 25.05.2026 को माननीय न्यायालय डी0जे0 कोर्ट, बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 776/2025 धारा 302/201/498ए व धारा 4 डीपी एक्ट से संबंधित अभियुक्त सोमपाल पुत्र रामौतार निवासी धमरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास और कुल 28,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

सोमपाल पुत्र रामौतार निवासी ग्राम धमरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर दिनांक- 25.05.2026

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 186/2026 धारा 305(a) बी0एन0एस0 मे वाछित अभियुक्त को चोरी के 01 मोबाईल व 650 रुपये की नगदी सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.04.2026 को वादी ललित कुमार पुत्र नागेन्द्र सिंह निवासी औरंगशाहपुर बनवारी थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा अपने 03 मोबाइल फोन गुम होने के संबंध मे थाना धामपुर पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।

दिनांक 25.05.2026 को विवेचानत्मक कार्यवाही के दौरान उक्त गुमशुदगी को तरमीम करते हुए थाना धामपुर पर मु0अ0स0 186/2026 धारा 303(a) बीएनएस बनाम सादिक पुत्र सईद निवासी हबीबवाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज थाना धामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त सादिक पुत्र सईद निवासी हबीबवाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी के 01 मोबाईल व 650 रुपये की नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पूछताछ विवरण

अभियुक्त से बरामद मोबाइल व रुपये के बारे मे पूछा गया तो उसने बताया कि दिनांक 02/04/2026 की रात्रि में उसने औरंगशाहपुर बनवारी मे एक घर से 03 मोबाईल चोरी किये थे, जिनमें से दो मोबाईलों को उसने राह चलते अज्ञात व्यक्ति को 3000 रूपये में बेंच दिये थे, जिनमें से 650 रूपये मेरे पास बचे है बाकी पैसे खर्च हो गये है। उसके पास मौजूद तीसरे मोबाईल को वह आज बेंचने जा रहा था कि पुलिस ने उसे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सादिक पुत्र सईद निवासी हबीबवाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

माल बरामदगी का विवरण

1.मोबाईल मोडल MOTO G54 5G जिसका IMEI NUMBER 350835852874598, 350835852874606 है
2.नगदी 650 रूपये (एक नोट 500, एक नोट 100 रूपये व एक नोट 50 रूपये)

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 501/2024 धारा 317(2)/318(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर
2.मु0अ0स0 111/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना धामपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 श्री गोपाल सिह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.का0 1285 अर्जुन बालियान थाना थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.का0 326 विपिन थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना अफजलगढ दिनांक 25.05.2026

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0स0 157/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

वादी मौ0 वसीम अहमद पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौ0 मझौली थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि उसकी पत्नी एवं उसके परिजनों द्वारा दिनांक 05.05.2025 को समझौता वार्ता के दौरान उसके व उसकी बहन के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई तथा बाद में कार से मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसमें उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 157/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/309(4)/74/115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 109(1)/3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

दिनांक 24.05.2026 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त कसीम पुत्र मौ0 राशिद निवासी मौहल्ला मनिहारान सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कसीम पुत्र मौ0 राशिद निवासी मौहल्ला मनिहारान सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री बिजेन्द्र सिंह राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. का0 1478 विपिन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3. का0 966 रुद्रप्रताप थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना नजीबाबाद **दिनांक 25.05.2026**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने दिनांक 08.05.2026 को हुई गौकशी की घटना से संबंधित अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.05.2026 को थाना नजीबाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा साहनपुर चौकी से लगभग 200 मीटर पूर्व मुख्य मार्ग के किनारे झाड़ियों में 02 बोरों में गौवंशीय अवशेष पड़े हुए हैं। सूचना पर थाना नजीबाबाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर गौवंशीय अवशेषों को कब्जे में लेकर चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया।

उक्त घटना के संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 215/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

नोट- ***दिनांक 10.05.2026 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तगण अल्लू उर्फ हलीम पुत्र अल्लादिया निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर व मौ0 याकूब पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 15.05.2026 को अभियुक्त मौ0 फुरकान पुत्र कामिल निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था।***

कार्यवाही-

दिनांक 25.05.2026 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त इदरीश पुत्र महबूब निवासी मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 अवैध तंमचा व 02 जिंदा कारतूस 32 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 10.05.2026 को वह अपने साथियों के साथ बेसहारा गोवंशीय पशु पकड़ने की फिराक में था। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर उसके दो साथी पकड़े गये, जबकि वो और उसका एक साथी मोटरसाइकिल से फरार हो गये थे और उसी ने भागते समय पुलिस टीम पर तमंचे से फायर किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

मौ0 अनस पुत्र नसीम अहमद निवासी ग्राम भागूवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तंमचा व 02 जिंदा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 अनस उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0-215/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0स0-216/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री अमित सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 कुलवीर सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3.उ0नि0 सोनू कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

4.हे0का0 512 शीशपाल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना नजीबाबाद **दिनांक 25.05.2026**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 242/2026 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस से संबंधित 02 बाल अपचारियों से चोरी की घटना से संबंधित धनराशि बरामद कर पुलिस निगरानी में लिया गया।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.05.2026 को वादी तसलीम अहमद खान पुत्र स्व0 गुलाम मुर्तजा खान निवासी काबुल लाईट हाउस चौक बाजार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि किसी ने उसकी दुकान के गल्ले से ₹40,000/- चोरी कर लिये है।

इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 242/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में सीसीटीवी फुटेज, वीडियो एवं अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करने पर उक्त घटना में संलिप्त 02 बाल अपचारियों के नाम प्रकाश में आए।

दिनांक 25.05.2026 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना से संबंधित 02 बाल अपचारियों को पुलिस निगरानी में लिया गया है, जिनके कब्जे से वादी की दुकान से चोरी किए गये रुपयों में से ₹10,100/- बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस निगरानी में लिये गये बालअपचारियों का विवरण-

02 बालअपचारी

पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 अवधेश शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2- का0 2194 विनीत कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3- का0 1790 राहुल सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4- का0 2517 अक्षय थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट- थाना चांदपुर **दिनांक 25.05.2026**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 175/26 धारा 79/69/351(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.05.2026 को वादिया द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त खुर्शीद पुत्र पालू खां निवासी ग्राम तंगडोला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा उसके साथ फोन पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया तथा उक्त संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चादंपुर पर मु0अ0सं0 175/2026 धारा 79,351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 69 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

उक्त प्रकरण में दिनांक 25.05.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त खुर्शीद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

खुर्शीद पुत्र पालू खाँ उर्फ सुक्खे खाँ निवासी ग्राम तंगडोला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 यशवीर सिंह थाना चांदपुर बिजनौर।

2.का0 2637 रामकुमार थाना चांदपुर बिजनौर।

3.का0 2723 मोहित थाना चांदपुर बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना नजीबाबाद **दिनांक 25.05.2026**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 241/2026 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी किये गये बैट्रे व 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना एंव कार्यवाही का विवरण:-

दिनांक 24.05.2026 को वादी शाहआलम पुत्र बाबू निवासी मौ0 दरोदग्रान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान से बैटरी चोरी कर लिया गया है।

इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0 241/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त जीशान पुत्र हिब्जुर्रहमान निवासी मौ0 बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 25.05.2026 को थाना नजीबाबाद पुलिस ने उपरोक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त जिशान उपरोक्त को चोरी किये गये बैटरे को मोटरसाइकिल UP23J4711 के पीछे बांधकर ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

जिशान पुत्र हिब्जुर्रहमान निवासी मौ0 बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त जिशान उपरोक्त अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 241/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0स0-12/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3.मु0अ0स0-151/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4.मु0अ0स0-162/2018 धारा 354(ख)/376(डी)/452/506 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
5.मु0अ0स0-230/2018 धारा 323/504/324 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
6.मु0अ0स0-615/2019 धारा 323/504/506/354/452 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
7.मु0अ0स0-522/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण

चोरी किया गया बैट्रा (लिवगार्ड) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल UP23J4711

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.उ0नि0 सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 453 नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3.का0 1580 ललित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4.का0 236 रोहित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस **दिनांक 25.05.2026**

यातायात निदेशालय, लखनऊ द्वारा *ड्रंक एंड ड्राइविंग* के विरुद्ध चलाए जा रहे 02 दिवसीय विशेष अभियान के क्रम में यातायात पुलिस, जनपद बिजनौर द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही के संबंध में।

यातायात निदेशालय, लखनऊ द्वारा *ड्रंक एंड ड्राइविंग*, ध्वनि प्रदूषण एवं बिना ***HSRP*** *नम्बर प्लेट* वाले वाहनों के विरुद्ध चलाए गए 02 दिवसीय विशेष अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में दिनांक **23.05.2026 एवं 24.05.2026** को यातायात पुलिस बिजनौर, क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, स्थानीय पुलिस तथा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय द्वारा जनपद के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित भनेड़ा टोल प्लाजा एवं पुरैनी टोल प्लाजा पर संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान **ड्रंक एंड ड्राइविंग** के **67** वाहन चालकों के विरुद्ध चालान किया गया। इसके अतिरिक्त **27 दोपहिया वाहनों** पर लगे *मॉडिफाइड साइलेंसर*, **21 वाहनों** पर लगे *प्रेशर हॉर्न* तथा **54 वाहनों** के बिना *हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट* ***(HSRP)*** पाए जाने पर नियमानुसार चालान की कार्यवाही की गई। साथ ही, बिना नम्बर प्लेट संचालित **01** डम्पर को सीज कर थाना नगीना में निरुद्ध कराया गया।

यातायात पुलिस बिजनौर आमजन से अपील करती है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के नशे का सेवन कर वाहन न चलाएँ तथा यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश
परिवहन
मेरठ
कोटद्वार बिजनौर
UP78J
N7534
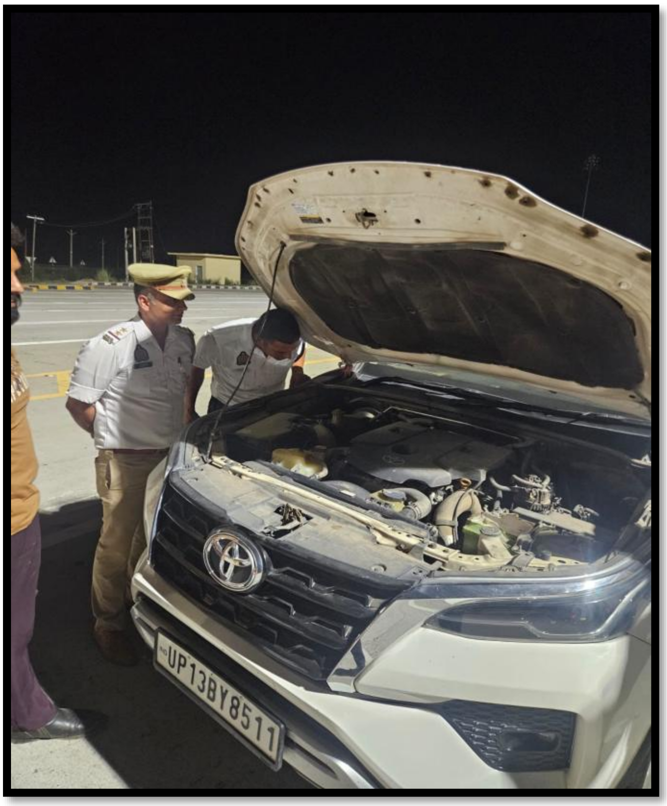
UP13BY8511

AK-47